प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'एक'

परिशिष्ट एक

[21/7/2017]

प्रश्न सं. [क्र. 1589]

(2) अनुसूची-दो में कॉलम (2) में, अनुक्रमांक 19 शीर्षक शासकीय सुधारालय तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए.

(3) अनुसूची-तीन में कॉलम (2) में अनुक्रमांक 15 शासकीय सुधारालय सिवनी तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए.

(4) (एक) अनुसूची-चार में कॉलम (2) में अनुक्रमांक (2-क) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

स.क्र.	उस सेवा अथवा पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है.	उस सेवा अथवा पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है.	पदोन्नति हेतु निर्धारित अर्हताएं एवं अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"(2-क)	सहायक शिक्षक	उच्च श्रेणी शिक्षक (गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं भाषा).	गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा (अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत एवं उर्दू) विषय समूह में स्नातक तथा शिक्षक प्रशिक्षण एवं पांच वर्ष का अध्यापन का अनुभव.	1. कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा नाम-निर्दिष्ट अधिकारी—अध्यक्ष. 2. जिला शिक्षा अधिकारी—सदस्य 3. सहायक संचालक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी—सदस्य सचिव. 4. प्राचार्य उ. मा. वि.—सदस्य.

(दो) विद्यमान टिप्पणी को क्रमांक (1) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए तथा उसके पश्चात् निम्नलिखित क्रमांक अंत: स्थापित किए जाए, अर्थात्:—

(2) सहायक शिक्षकों की पदक्रम सूची जिला स्तर पर विषय समूहवार रूप में—गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, (अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत एवं उर्दू) विषय समूह अनुसार पृथक् से तथा सहायक शिक्षकों की एक समेकित पदक्रम सूची के साथ पृथक्-पृथक् संधारित की जाएगी शिक्षक के पद पर इस पदक्रम सूची का उपयोग विषय समूहवार पदोन्नति हेतु किया जाएगा.

(3) जिला एवं राज्य स्तर पर शिक्षक संवर्ग की समेकित पदक्रम सूची सहायक शिक्षक के पद पर वरिष्ठता के अनुसार संधारित की जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गीता मिश्रा, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 2012

क्र. एफ 1-32-2010-बीस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-32/2010-बीस-1, दिनांक 3 अगस्त 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गीता मिश्रा, अपर सचिव.

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल – 462021
दूरभाष 0755–2583650 फैक्स 0755–2583651
ई–मेल dpimp@sancharnet.in

क्रमांक /स्था–3/एच/ मार्गदर्शन/2013/25। भोपाल,दिनांक 13/2/2013

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।
2. समस्त संयुक्त संचालक,
लोक शिक्षण संभाग म.प्र.
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला मध्यप्रदेश।

विषय :–सहायक शिक्षक से उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर पदोन्नति के संबंध में मार्गदर्शन ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत कतिपय जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा सहायक शिक्षक से उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर पदोन्नति के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है । शिक्षा में गुणात्मक सुधार को दृष्टिगत रखते हुये सहायक शिक्षक से उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु निम्नानुसार पालन सुनिश्चित करें:–

(1) म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, के पत्र क्रमांक एफ 27–13/2012/20–2 भोपाल दिनांक 21.8.2012 द्वारा निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अर्न्तगत माध्यमिक शालाओं के लिये शिक्षको के पदों की स्वीकृति दी गई है। अतः इन स्वीकृत पदों पर पदोन्नति एंव पूर्व के पदोन्नति के रिक्त पद को जोडकर पदोन्नति की जानी है ।

(2) म0प्र0 राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 356 भोपाल शनिवार दिनांक 04 अगस्त 2012 का पालन करते हुये पदोन्नति की कार्यवाही निहित शर्तो के अधीन सुनिश्चित करें।

(3) यह कि गृह विज्ञान एवं वाणिज्य को सामाजिक विज्ञान के साथ एवं कृषि को विज्ञान के साथ तथा जिन सहायक शिक्षकों के स्नातक परीक्षा में अन्य विषय के साथ मुख्य विषय गणित है तो ही उन्हें गणित विषय में मान्य किया जाये ।

(4) पदोन्नति पश्चात काउसंलिग वरिष्ठता के आधार पर की जायें परन्तु निशक्त लोकसेवकों को मैरिट के आधार पर प्राथमिकता दी जाये । रिक्त पदों की सूची उपलब्ध कराई जाये ।

(हस्ताक्षर) 13/2/13
आयुक्त
लोक शिक्षण,म.प्र.

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन

पृ.क्रमांक / स्था–3 / एच / 2013 / 252 भोपाल,दिनांक 13/02/2013

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव,मान.मंत्री जी /राज्यमंत्री जी,स्कूल शिक्षा मध्यप्रदेश ।
2. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय भोपाल ।
4. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय भोपाल ।
5. राज्य शिक्षा केन्द्र /आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश भोपाल।
6. समस्त संभागीय आयुक्त मध्यप्रदेश ।
7. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मध्यप्रदेश ।
8. समस्त जिला परियोजना समन्वयक मध्यप्रदेश ।
9. गार्ड फाईल संधारण हेतु ।

13/2/13
आयुक्त
लोक शिक्षण,म.प्र.

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग (शाला–1),
मंत्रालय, भोपाल